


कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश संख्या 01 / 29-1(1) देहरादून दिनांक, 28 मार्च, 2018.

कार्यालय आदेश

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 163/2017 (दीप चन्द्र मठपाल व अन्य बनाम राज्यादि), विशेष अपील संख्या 118/2017 (अनूप सिंह भण्डारी बनाम प्रेम सिंह रावत व अन्य) विचाराधीन होने तथा रिट याचिका संख्या 2940/एस0एस0/2017 (मदन सिंह बिष्ट बनाम राज्यादि) योजित किये जाने की स्थिति में, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0 1586/X-1-2017-04(01)/2001 दिनांक 12.09.2017 के प्रावधानों के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक 437/1-12(29) दिनांक 19.09.2017 से निर्गत दिनांक 01.07.2017 की स्थिति पर आधारित वन दरोगाओं की राज्यस्तरीय अनन्तिम कोटिक्रम (ज्येष्ठता) सूची तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

उपरोक्त प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण होने एवं उक्त दोनों विशेष अपीलों तथा रिट याचिका पर अन्तिम निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त ही वन दरोगाओं की ज्येष्ठता सूची तैयार कर प्रचारित की जायेगी।


28.03.2018

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक,


मा0सं0वि0 एवं का0प्र0

उत्तराखण्ड, देहरादून।

व0सं0 01 / 1-15 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध परियोजना उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0सैल। इस कार्यालय के पत्रांक 437/1-12(29) दिनांक 19.09.2017 से निर्गत दिनांक 01.07.2017 की स्थिति पर आधारित वन दरोगाओं की राज्यस्तरीय अनन्तिम कोटिक्रम (ज्येष्ठता) सूची को वेबसाइट से हटाते हुए इस पत्र को अपलोड कर दिया जाय।


28.03.2018

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक,

मा0सं0वि0 एवं का0प्र0

उत्तराखण्ड, देहरादून।